

29/1/21

उपरोक्त यह पत्रावली दावा पत्रावली के साथ
पेश हुई। प्राचीन जमीन की मूल दावा पत्रावली
उपरोक्त अदम हाजरी अदम पेशी के खारीज
की जा चुकी है। ऐसी रिश्ते में इस पत्रावली
का कोई उपयोग नहीं रह गया है। अतः यह
पत्रावली अग्रिम कार्यवाही छोड़कर अदम
हाजरी अदम पेशी के खारीज की जाती है।
संबंध में पूर्व में जारी अग्रिम कोर्ट निश्चय
किये जाते हैं। अग्रिम सुनार हो नम्बर से
काम हो। बाद तब मील सलगन मूल दावा
रहे। सुनाया गया।

24-
उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अनवर) राज०

